पत्रांक–9/सै0 विविध (कोर्ट केस) 05/2024– 1043 (9A)/रा0,

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

जय सिंह,
सचिव।

सेवा में,

ई–मेल

सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार,
सभी समाहर्त्ता, बिहार,
सभी अपर समाहर्त्ता, बिहार
सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिहार।

पटना–15, दिनांक– 17/03/2026

विषय :– राजस्व न्यायालयों का अंचल अधिकारियों एवं राजस्व कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश (हड़ताल) की अवधि में विधिवत् संचालन हेतु मार्गदर्शन।

महाशय,

निदेशानुसार यह कहना है कि सरकार द्वारा समृद्धि यात्रा, 2026 के दौरान समीक्षा के क्रम में राजस्व न्यायालयों में प्रचण्ड मात्रा में वाद लंबित रहने पर घोर चिंता व्यक्त की गयी है एवं उसके समाधान हेतु प्रयास के लिए निर्देश जारी किया है। चूँकि समृद्धि यात्रा के प्रपत्र–3 में प्रगति असंतोषप्रद है एवं समीक्षा के क्रम में सभी ने अंचल अधिकारियों एवं हल्का कर्मचारियों के हड़ताल/सामूहिक अवकाश का हवाला देकर यह कहा कि उनके अनुपस्थिति के कारण राजस्व न्यायालयों में वाद का निष्पादन अवरूद्ध है।

उपर्युक्त परिस्थिति में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया जाता है कि सभी स्तर के राजस्व न्यायालय (प्रमण्डलीय आयुक्त/समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता) अपने–अपने न्यायालयों में त्वरित गति से वादों का निष्पादन निम्न रूप से करेंगे :–

(क) किसी भी परिस्थिति में बिना नोटिस ex-parte आदेश नहीं करेंगे।
(ख) नोटिस का तामिला राजस्व न्यायालय के अभिलेख का अभिन्न अंग रहेगा।
(ग) कोई Adjournment देय नहीं होगा।
(घ) दोनों पक्षों को Written Statement दायर करने का एक अवसर दिया जायेगा।
(ड.) तीन दिनों से अधिक सुनवाई अपवाद के तौर पर सकारण किया जाएगा।
(च) सभी अंतिम आदेश सकारण होंगे।
(छ) न्यायालयों में Chat GPT/Gemini इत्यादि के AI के सहयोग की अनुमति होगी।

अतः अनुरोध है कि एक कार्य योजना बनाकर (दिनांक–18.03.2026 से 15.04.2026 तक) अपने अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों के सभी लंबित वादों का निपटारा सभी स्तर पर नियमानुसार करें। इस पत्र को विभागीय पत्रांक–1038(9A), दिनांक–16.03.2026 एवं पत्रांक–1039(9A), दिनांक–16.03.2026 की निरन्तरता में माना जाए।

विश्वासभाजन
17/3/26
(जय सिंह),
सचिव।

ज्ञापांकः–9/सै0 विविध (कोर्ट केस) 05/2024– 1043 (9A)/रा0, दिनांक– 17/03/2026

प्रतिलिपिः– माननीय उपमुख्य मंत्री–सह–विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17/3/26
(जय सिंह),
सचिव।